रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2012/श्रावण 17, 1934
No. 402] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2012/SHRAVANA 17, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 624(अ).—औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है और उक्त धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, को सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 भेजा जा सकेगा ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, विचार किया जाएगा ;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 के नियम 10 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगी जैसे कि वह निम्नलिखित से बरतने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित समझे,

1. औद्योगिक नीति और संवर्धन ;
2. अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग;
3. गृह ;
4. वाणिज्य, महानिदेशक, विदेश व्यापार ;
5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह उचित समझे, ऐसी समिति में किसी अन्य मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य सदस्य को शामिल कर सकेगी ।

[फा. सं. 7(1)/2012-आईपी]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र 1952 (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (i i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 813 (अ) तारीख 8 मई, 1952 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए,-

1. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1856 तारीख 1 अक्तूबर, 1953
2. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 691 तारीख 1 मार्च, 1957
3. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1781 तारीख 11 दिसम्बर, 1964
4. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 2187 तारीख 6 दिसम्बर, 1968
5. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 270(अ) तारीख 14 जून, 1974
6. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 274 (अ) तारीख 19 जून, 1974
7. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 284 (अ) तारीख 25 जून, 1974
8. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 369 (अ) तारीख 17 अगस्त, 1974
9. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 392(अ) तारीख 17 सितम्बर, 1974
10. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 399 (अ) तारीख 23 सितम्बर, 1974
11. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 599(अ) तारीख 15 नवम्बर, 1975
12. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 719(अ) तारीख 26 सितम्बर, 1981
13. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 66(अ) तारीख 14 फरवरी, 1984
14. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 100(अ) तारीख 18 फरवरी , 1987
15. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 926(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 1993

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2012

G.S.R. 624(E).—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 30, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) are hereby published as required by sub-section (1) of the said section 30, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhavan, New Delhi-110011;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, in rule 10, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(2) The Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint one or more committees, consisting of such number of members as it may think fit to represent the Ministries or Departments of the Central Government dealing with-

1. Industrial Policy and Promotion
2. The Industry specified in the First Schedule to the Act;
3. Home Affairs;
4. Commerce, Director General of Foreign Trade
5. Micro, Small and Medium Industries:

Provided that the Central Government may, if it deems fit, include in such committee any other member to represent any other Ministry or Department".

[F. No. 7(1)/2012-IP]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published vide notification number SRO 813, dated the 8th May, 1952 Gazette of India 1952 (Extraordinary) Part II, Section -3, Sub –section (ii) and was subsequently amended by :-

1. Notification No. SRO 1856, dated the 1st October, 1953;
2. Notification No. SRO 691, dated the 1st March, 1957;
3. Notification No. GSR 1781, dated the 11th December, 1964;
4. Notification No. GSR 2187, dated the 6th December,.1968;
5. Notification No. GSR 270 (E), dated the 14th June, 1974;
6. Notification No. GSR 274(E), dated the 19th June, 1974;
7. Notification No. GSR 284(E), dated the 25th June, 1974;
8. Notification No. GSR 369(E), dated the 17th August, 1974;
9. Notification No. GSR 392(E), dated the 17th September, 1974;
10. Notification No. GSR 399(E), dated the 23rd September, 1974;
11. Notification No. GSR 599(E), dated the 15th November, 1975;
12. Notification No. GSR 719(E), dated the 26th September, 1981;
13. Notification No. GSR 66(E), dated the 14th February, 1984;
14. Notification No. GSR 100(E), dated the 18th February, 1987;
15. Notification No. SO 926(E), dated the 3rd December, 1993.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.